मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्र. सी–3–3/2021/1–3 भोपाल, दिनाक 13 अप्रैल, 2021

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, भोपाल.
2. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश, (पुलिस मुख्यालय), भोपाल.
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश.

विषयः दिनांक 31.03.2021 एवं उसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों के सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को कोविड–19 के विरूद्व चल रहे अभियान में तैनाती के दृष्टिगत संविदा नियुक्ति बावत्।

––0––

कोविड–19 के विरुद्ध संचालित अभियान में शासन के विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों तथा उनके अंतर्गत गठित निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के इस अभियान में कार्यरत ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो दिनांक 31.03.2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा अभियान में उनका रहना वांछित है, को 31.07.2021 तक संविदा नियुक्ति पर रखे जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किए जावें।

3/ वर्ग–तीन एवं वर्ग–चार के शासकीय कर्मचारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति उनके जिला प्रमुख द्वारा दी जावेगी। सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिस भी पदनाम से जाने जाते हों) दे सकेंगे। नियुक्ति देने के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण आवश्यक होगा कि वह कोविड–19 में कार्यरत है तथा उसकी सेवाएं आवश्यक हैं।

4/ वर्ग–2 के शासकीय अधिकारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति संभागीय आयुक्त कर सकेंगे। ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण आवश्यक होगा कि वह कोविड–19 में कार्यरत हैं, तथा उसकी सेवाएं आवश्यक हैं।

Rpat
13/4/2021

निरंतर........

5/ वर्ग–1 के शासकीय अधिकारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी।

6/ गृह विभाग के अंतर्गत कोविड–19 के विरूद्ध चल रहे अभियान में कार्यरत वर्ग–3 एवं 4 के पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा एवं प्रमाणीकरण पर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा ऐसी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। वर्ग–2 के पुलिस अधिकारियों को कोविड–19 के विरूद्व अभियान में कार्यरत होने का प्रमाणीकरण एवं अनुशंसा संबंधित जोन के पुलिस महानिरीक्षक से प्राप्त होने के उपरांत ऐसी संविदा नियुक्ति पुलिस महानिदेशक द्वारा दी जा सकेगी।

7/ ऐसी संविदा नियुक्ति प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम– 2017 के नियम–12 (2) के प्रावधान लागू होंगे, जो निम्नानुसार हैं:–

"सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय मंहगाई भत्ते में से देय पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं देय मंहगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत का भी हकदार होगा।"

8/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु.ओ.कं. आर. 807/1703/2021/नियम/चार, दिनांक 13–04–2021 को जारी की गई स्वीकृति के क्रम में प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

13/4/2021
(रंजना पाटने)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरंतर........

पृष्ठा.क. सी–3–3/2021/1–3 भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 2021

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
6. आयुक्त जनसंपर्क विभाग, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13/4/2021

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग